


तारीख हुकम	<p>पूरुबामल नगर नगरपालिका</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज</p> <p>रोवा</p> <p>क्रमांक - 123/2022</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
31-7-23	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02-8-23 को पेश हो।</p> <p><i>सुजयति</i></p>	
3-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-8-23 को पेश हो।</p> <p><i>सुजयति</i></p>	
17-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-8-23 को पेश हो।</p> <p><i>सुजयति</i></p>	
24.08.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रैजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  24/08/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर </p>	



सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या
123/2022

जीसीएमएस
2022/202

दायर दिनांक
25.08.2022

निर्णय दिनांक
24.08.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. पूरणमल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति जांगिड निवासी ग्राम सांवलपुरा तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादी—

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र दुर्गाप्रसाद
2. विमला देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद
3. मोहन लाल पुत्र दुर्गाप्रसाद
4. सुनीता देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
5. सुमित्रा देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
6. सविता देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
7. रमेश चन्द पुत्र भूरा
8. ओमप्रकाश पुत्र शिवनारायण
9. कमला पुत्री शिवनारायण
10. कैलाश पुत्र शिवनारायण
11. किशन पुत्र शिवनारायण
12. चन्द्रकला पत्नी गोपाल पुत्रवधु शिवनारायण
13. आर्यन पुत्र गोपाल पौत्र शिवनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता चन्द्रकला
14. खुशी पुत्री गोपाल पौत्री शिवनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता चन्द्रकला



Dilip Singh
24/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

15. मुस्कान पुत्री गोपाल पौत्री शिवनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता चन्द्रकला
 16. अनुराधा पुत्री गोपाल पौत्री शिवनारायण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता चन्द्रकला
 17. दुर्गा देवी पत्नी बाबूलाल पुत्रवधू शिवनारायण
 18. पपीता पुत्री बाबूलाल पौत्री शिवनारायण
 19. कौशल्या पुत्री बाबूलाल पौत्री शिवनारायण
 20. हंसा पुत्री बाबूलाल पौत्री शिवनारायण
 21. कैला देवी पुत्री बाबूलाल पौत्री शिवनारायण
 22. ललिता देवी पुत्री बाबूलाल पौत्री शिवनारायण
 23. विकास पुत्र बाबूलाल पौत्र शिवनारायण
 24. माया पुत्री शिवनारायण
 25. विनोद पुत्री शिवनारायण
- समस्त जाति जांगिड निवासी ग्राम सांवलपुरा तंवरान, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
 27. उप पंजीयक अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित : -

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 वादी।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या-26



वादपत्र बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

(Signature)
24/10/23
दिलिप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार क्षेत्र हाथीदेह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झाडली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की सरहद में कृषि भूमि राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 255 पुराना 274 के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 3.66 हैक्टर स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/21 निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार दर्ज व अंकित चला आ रहा है। वादी उक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा है। खातेदार गोपाल पुत्र शिवनारायण पौत्र भूरा, बाबूलाल पुत्र शिवनारायण पौत्र भूरा, बाबूलाल पुत्र शिवनारायण पौत्र भूरा का देहान्त हो चुका है। जिनकी विरासत का नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम दर्ज नहीं हुआ है। जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 25 है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है। इसलिये वादी ने समय-समय पर प्रतिवादीगण को

वाद अधीन कृषि भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन हेतु कहा। जिस पर पूर्व में तो प्रतिवादीगण मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के



(Signature)
24/8/23
दिलिप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हांमी भरते रहें, परन्तु प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। हाल ही में वादी द्वारा भूमि के विभाजन के लिए प्रतिवादीगण से वार्तालाप की तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया एवं भूमि के विभाजन हेतु इंकार कर दिया और प्रतिवादीगण वादअधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द-बुर्द करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय-हस्तान्तरण, निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भाग पर सह-हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 16.08.2022 को वादी से विभाजन से साफ इन्कार कर दिया एवं बिना विभाजन ही गैर कानूनी व विधि विरुद्ध तरीके से वादी को वाद अधीन कृषि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर के भूमि को अनुचित रूप से विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू हैं, प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि पर मनमर्जी अनुसार वे निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हैं। इसलिए वादकारण उत्पन्न हुआ है। अतः वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि संख्या नया 255 पुराना 274 के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 680 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 681 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.35 हैक्टर कुल कित्ता 12 कुल रकबा 3.66 हैक्टर अवस्थित ग्राम देवीपुरा पटवार क्षेत्र



[Signature]
24/08/23
दिलिप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

हाथीदेह, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झाड़ली, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में वादी के हिस्सा 1/21 की भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी के निहित हिस्सा को वादी की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 27 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 27 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 27 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 25 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 25 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग-अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण एकपक्षीय होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 19.01.2023 प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये



दिनांक 13.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार

[Signature]
विलियम सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भूअ./23/1041 दिनांक 27.06.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 7 ता 25 दर्ज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्डेड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत धारा-53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट से वकील वादी ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 7 ता 25 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 7 ता 25 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी

अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



P. Singh
24/06/23
विलियम सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)


—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 27.06.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :-

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	255	1. अनुराधा जांगिड पुत्री गोपाल जांगिड हिस्सा 1/120 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	626	.3700	बारानी 1	2.28
		2. आर्यन जांगिड पुत्र गोपाल जांगिड हिस्सा 1/120 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	627	.3600	बारानी 1	2.22
		3. ओम प्रकाश जांगिड पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	628	.0300	बारानी 1	0.19
		4. कमला देवी पुत्री शिवनारायण हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	642	.4400	बारानी 1	2.71
		5. केला देवी पुत्री बाबूलाल जांगिड हिस्सा 1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	643	.2000	बारानी 1	1.23
		6. कैलाश जांगिड पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	644	.1800	बारानी 1	1.11
		7. किशन जांगिड पुत्र शिवनारायण हिस्सा 1/24 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	645	.4400	बारानी 1	2.71
		8. कौशल्या देवी पुत्री बाबू लाल जांगिड हिस्सा 1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार	646	.0800	बारानी 1	0.49
		9. खुशी जांगिड पुत्री गोपाल जांगिड हिस्सा	680	.3600	बारानी 1	2.22
			681	.5200	बारानी 1	3.21
			682	.0600	बंजड़ डोल	0.09
				.2700	बारानी 1	1.67
			683	.3500	बारानी 1	2.16




 24/06/23
दिलिप सिंह
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
 श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

- 1/120 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
10. चन्द्रकला जागिड पत्नि गोपाल जागिड हिस्सा
1/120 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
11. दुर्गा देवी पत्नि बाबू लाल जागिड हिस्सा
1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
12. पपिता देवी पुत्री बाबू लाल जागिड हिस्सा
1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
13. पूरणमल पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/9 जाति
खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
14. बजरंगलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/9 जाति
खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
15. मुस्कान जागिड पुत्री गोपाल जागिड हिस्सा
1/120 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
16. माया देवी पुत्री शिवनारायण हिस्सा 1/24
जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
17. मोहनलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद हिस्सा 1/9 जाति
खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
18. रमेशचन्द पुत्र भूरा हिस्सा 1/3 जाति खाती
सा. सांवलपुरा खातेदार
राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल
बैंक शाखा हरदासकाबास
19. ललिता देवी पुत्री बाबू लाल जागिड हिस्सा
1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
20. विकास जागिड पुत्र बाबू लाल जागिड हिस्सा
1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
21. विनोद देवी पुत्री शिवनारायण हिस्सा 1/24
जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार
22. हंसा देवी पुत्री बाबू लाल जागिड हिस्सा
1/168 जाति खाती सा. सांवलपुरा खातेदार

योग

किता	3.66	-	22.29
-12			



P. Singh
24/08/27
विलियम सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :-

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	255	बजरंगलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति खाती निवासी सांवलपुरा तंवरान हिस्सा पूर्ण	681/1	0.20	बारानी 1	1.2346
			680/2	0.13	बारानी 1	0.8016
			643	0.08	बारानी 1	0.49
		योग	किता-3	0.41	-	2.5262
2.	255	पूरणमल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति खाती हिस्सा पूर्ण निवासी सांवलपुरा तंवरान	644	0.18	बारानी 1	1.11
			645/1	0.21	बारानी 1	1.2934
			681/3	0.01	बारानी 1	0.0617
		योग	किता-3	0.40	-	2.4651
3.	255	मोहनलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति खाती हिस्सा पूर्ण निवासी सांवलपुरा तंवरान	643/1	0.19	बारानी 1	1.1685
			645/2	0.22	बारानी 1	1.3577
		योग	किता-2	0.41	-	2.5262
4.	255	अनुराधा, खुशी, मुस्कान पुत्रियां गोपाल खाती हिस्सा 3/40, आर्यन पुत्र गोपाल जाति खाती हिस्सा 1/40, चन्द्रकला पत्नी गोपाल जाति खाती हिस्सा 3/8, ओमप्रकाश, किशन, कैलाश पि0 शिवनारायण जाति खाती हिस्सा 3/8, कमला, मायादेवी, विनोददेवी पुत्रियां शिवनारायण जाति खाती हिस्सा 3/8, केलादेवी, कोशलयादेवी, पपीता, ललिता, हंसादेवी पुत्रियां बाबुलाल जाति खाती हिस्सा 5/56, विकास पुत्र बाबुलाल जाति खाती हिस्सा 1/56, दुर्गा देवी पत्नी बाबुलाल जाति खाती हिस्सा 1/56 निवासी सांवलपुरा तंवरान	643/2	0.01	बारानी 1	0.0615
			645/3	0.01	बारानी 1	0.0615
			642	0.44	बारानी 1	2.71
			628	0.03	बारानी 1	0.19
			627	0.36	बारानी 1	2.22
			626	0.37	बारानी 1	2.28
					योग	किता-2



(Signature)
24/08/23
दिलिप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

योग		किता-6	1.22	-	7.523	
5	255	कमला देवी पत्नी रमेशचन्द हिस्सा 1/9,	682	0.33	बंजड़ ढोल (0.06 है.)	0.09
		अशोक पुत्र रमेशचन्द हिस्सा 1/9,			बारानी 1	1.67
		अनिता पुत्री रमेशचन्द हिस्सा 1/9 जाति			(0.27 है.)	
		खाती निवासी सांवलपुरा तंवरान राहिन	683	0.35	बारानी 1	2.16
		पी.एन.बी. शाखा हरदासकाबास	681/1	0.31	बारानी 1	1.91
		680/1	0.23	बारानी 1	1.41	
योग		किता-4	1.22	-	7.24	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1041 दिनांक 27.06.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रैजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



P. Singh
24/08/23
(विशेष सिद्धि)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीसकायाना)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



P. Singh
24/08/23
(विशेष सिद्धि)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीसकायाना)
श्रीमाधोपुर (सीकर)